संक्षिप्त

खेल मैदान विकसित करने की मांग

नरैना, (निसं)। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के पूर्व कार्यकारणी सदस्य व भाजपा नेता सुनील पारीक ने नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी राकेश कुमार शर्मा को खेल मैदान को विकसित कराने हेतु ज्ञापन सौंपा है। पारीक ने बताया कि कस्बे के त्रिपोलिया गेट के आगे खटीक समाज के सामने वाली जमीन जो सात बीघा राजस्व विभाग में खेल मैदान के नाम से आवंटित है उसका सीमा ज्ञान करवा कर चार दिवारी निर्माण करवा कर खेल मैदान के रूप में विकसित करने की मांग की है। खेल मैदान के विकसित हो जाने से नगरपालिका नरैना क्षेत्र के युवा वर्ग को सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर पार्षद विजय माचीवाल,पार्षद रामप्रसाद बागड़ा, राहुल पारीक,अमित कुमावत,देवेश भट्ट आदि मौजूद रहे।

पदोन्नति मिलने पर स्वागत किया

चाकसू, (निसं)। वरिष्ठ लिपिक से सहायक प्रशासनिक पदों पर पदोन्नित मिलने पर चौथमल मीणा को सीबीईओ कार्यालय चाकसू, जवाहर चौधरी को राजकीय विद्यालय शिवदासपुरा, धनराज मीणा को राजकीय विद्यालय कोटखावदा, रामकुमार यादव को राजकीय विद्यालय कादेड़ा एवं जितेंद्र बागड़ी को सहायक प्रशासनिक पद पर लगाने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चाकसू हनुमान सहाय मीणा ने पदोन्नत सभी कार्मिकों को अपने निर्धारित कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करने की सलाह दी।

माघ मेले के पोस्टर का विमोचन

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। मंगलवार को सर्व सिद्धेश्वर मालेरा धाम में आगामी 31 जनवरी 2023 को होने वाला बहुत ही विशाल माघ मेला, विशाल भजन कीर्तन, विशाल भंडारा के कार्यक्रम को लेकर बराला हॉस्पिटल में पहुंचने पर प्रयास फाउंडेशन की संस्थापक डॉ. शिखा मील बराला ने पोस्टर का विमोचन किया। डॉ. शिखा मील बराला ने महाराज श्री को बताया कि हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने का जो कार्य आप संत लोग कर रहे हो वह कार्य हर कोई नहीं कर सकता। पोस्टर विमोचन के दौरान डॉ अमित बराला, शंकर घठवाडा, सुरेश कुमार यादव मोरीजा, मुरारी शर्मा मानपुरा आदि लोग मौजूद रहे।

चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव सदस्य बने

टोंक, (निसं)। जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में सहवरण अनुशासन समिति सदस्य बनाया गया। जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में सहवरण अनुशासन समिति सदस्य नियुक्त होने पर जिला अभिभाषक संघ के सदस्यों ने उन्हे बधाई दी।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विकास प्रजापति की संदिग्ध मौत मामले में धरना 35वें दिन भी जारी

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे के बड़ाबास मोहल्ला निवासी विकास प्रजापति (20) की विगत 4 नवम्बर देवउठनी एकादशी की मध्य रात्रि को संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने के मामले में प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने व दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों व सर्वसमाज के लोगों द्वारा कस्बे के आजाद चौक कचहरी परिसर स्थित श्री रामलीला मंच पर दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को लगातार 35 वें दिन भी जारी रहा।

- जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे धरना स्थल पर
- धरणार्थियों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन

धरना स्थल पर पहुंचे सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से पीड़ित परिवार के लोगों व सर्वसमाज ने सीबीआई जांच की मांग की।

धरने की अध्यक्षता कुम्हार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार दुल्हेपुरा ने की। मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरणार्थियों को मृतक युवक विकास प्रजापति को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। राठौड़ ने कहा कि विकास प्रतापति हत्याकाण्ड के मामले को संसद व लोकसभा में उठाया जायेगा। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जायेगी। इस दौरान धरना स्थल पर वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर लाल कसाना, पूर्व जिला पार्षद धुड़सिंह शेखावत, सुरेश मोठूका, कमलेश प्रजापत, फारुख खान, भगत सिंह, नेतराम आर्य, चंदा राम प्रजापत, राजकुमार शर्मा, रामावतार आर्य, रमेश आर्य, रामेश्वर प्रसाद, अजीत सिंह आर्य, रोहिताश केशवाना राजपूत, अमरसिंह प्रजापत व राकेश कुमावत सहित सर्वसमाज के लोग मौजूद थे।

सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव की धूम

मालपुरा, (निसं)। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा 26 जनवरी से पूर्व सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव आयोजन के आदेशों की पालना में उपखण्ड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों मे वार्षिक उत्सव आयोजित कर भामाशाह व प्रतिभाओं के सम्मान की होड़ सी मची हुई है।

मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिण्डलिया बुजुर्ग में आयोजित समारोह में भामाशाह गोकुल मेघवंशी ने माइक सेट व 51 हजार, भंवर लाल कुमावत ने छात्राओं को जर्सी वितरण के लिए 21 हजार, रामरतन जांगिड ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 21 हजार की पौषाक, कैलाश खटीक ने अलमारी, हेमराज चौधरी ने 11 हजार, राजाराम चौधरी ने 5100 रूपये की सहयोग राशि प्रधानाचार्य को भेंट की। महेश शर्मा ने बताया कि प्रधानाचार्या सीमा सीहरा सहित शाला परिवार की ओर से सरपंच रूचिता सैनी,मनोज कुमार सैनी,सहित अतिथि व भाामाशाहओं का राजस्थानी पगडी व स्मृति चिन्ह से स्वागत सम्मान कर आर्थिक सहयोग के लिए आभार जताया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। राउमावि पारली अध्यापिका अरूण पाराशर ने बताया कि समारोह मे शाला स्टाफ की और से मुख्य द्वार निर्माण के लिए डेढ लाख रूपये दिये जाने की घोषणा की गई।

सार-समाचार

जर्सी पाकर बच्चों के खिले चेहरे

मंडावरी, (निसं)। कस्बे की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोठी वाली ढाणी में स्थानीय भामाशाह बाबूलाल खेड़ा वाले एवं रवि खेड़ा वाले द्वारा राजकीय विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र-छात्राओं को जर्सी वितरण के बाद सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिले हुए नजर आए। विद्यालय के प्रधानाचार्य शंकर लाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान गर्म वस्त्र नर्सरी वितरण कार्यक्रम के दौरान भामाशाह बाबूलाल खेड़ा वाले एवं रवि खेड़ा वाले सुरेश खानपुर पीईईओ परीक्षेत्र मंडावरी भगवान सहाय मीणा मीठा लाल मीणा पटेल संपत राम बेरवा पूर्व व्याख्याता जोहरी लाल मीणा रामप्रसाद मीणा संतोष मीणा प्रधानाध्यापक पक्का दौरा अर्जुन जोलिया अध्यक्ष एसएमसी व शिक्षक सुरेंद्र कुमार सिद्ध रतिराम मीणा श्रीलाल मीणा चेतराम मीणा सहित कई अतिथि भामाशाह एसएमसी सदस्य अभिभावक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

मुआवजा दिलवाने की मांग

निवाई, (निसं)। भाजपा युवा मोर्चा डांगरथल मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में उपखंड क्षेत्र में हुए किसानों की सरसों की फसल नुकसान के मुआवजा दिलवाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

पूर्व प्रधान ने फसल खराबे के मुआवजा की मांग की

बहरोड़/नीमराना, (निसं)। शीतलहर का दौर चलने के दौरान पाला गिरने से बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों की सरसों की फसल में 30 से 40 प्रतिशत तक हुए नुकसान को देखते हुए पंचायत समिति बहरोड़ के पूर्व प्रधान रंगराव यादव ने फसल में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार से मांग की।

गौरतलब है कि बहरोड़ क्षेत्र के भूजल स्तर के गिरने से सिंचाई की कमी के चलते एक तरफ जहां फसलों को उचित मात्रा में सिंचाई जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी वहीं दूसरी ओर भयंकर सर्दी का दौर होने के दौरान भयंकर पाला गिरने से क्षेत्र के किसान फसल बुवाई की लागत मूल्य की भरपाई करने में भी असमर्थ दिखाई दे रहे थे। जिसको देखते हुए पूर्व प्रधान रंगराव यादव ने क्षेत्र के नव घोषित नगरपालिका बड़ौद के किसानों की सरसों की फसल का जायजा लेने के साथ ही क्षेत्र के ऊंटोली, कोहराना, खोहरी व बनहड़ आदि गांवों के किसानों की फसलों का जायजा लेकर सरसों की फसल में लगभग 30 से 40 प्रतिशत का नुकसान होने का अंदेशा जताते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि बहरोड़ क्षेत्र के किसानों की फसल में हुए नुकसान का सर्वे कराकर आधिकारिक रूप से उचित मांग के अनुसार मुआवजा दिया जाए।

वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह

टोंक, (निसं)। शहर के हाउसिंग बोर्ड में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में वार्षिकोत्सव पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष टोंक, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन राष्ट्रीय संयोजक अकबर खान ने शिरकत की।

प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौधरी ने अकबर खान का माला व साफे से सम्मान किया व अकबर खान ने छात्र छात्राओं को सम्बोधित कर पुरस्कार वितरण किये। इस मौके पर राष्ट्रीय कवि प्रदीप पंवार, प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान, रोटरीयन क्लब के रोहिताश, समाजसेवीका निलिमा आमेरा, पार्षद बादल साहु, प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौधरी, ओमप्रकाश, बनवारी मीणा, सीमा गौतम, डिम्पल गुप्ता, मोहम्मद राशीद , विमल आदि मौजूद थे।

टोंक के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया

पावटा, (निसं)। राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल को पुन: विधानसभा के पटल पर रखना चाहती है। इस बिल के कुछ प्रस्तावित बिंदुओं का इंडिया मेडिकल एसोसिएशन एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (उपचार) ने विरोध किया। साथ ही कहा कि इस बिल को राज्य के निजी अस्पताल कतई स्वीकार नहीं करेंगे।

- पावटा क्षेत्र के निजी चिकित्सालयों में सेवाएं रहीं ठप

संजीवनी हॉस्पिटल से डॉ. एस एम यादव व डॉ. सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिस तरह राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राइट टू एजुकेशन को लागू करते समय होटल्स-रेस्टोरेंट्स एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को निशुल्क भोजन अथवा निशुल्क शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया गया था। उसी तरह राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देते समय निजी अस्पतालों को निशुल्क सेवाओं के लिए बाध्य नहीं किया जाए। चिकित्सक समुदाय और जनता के हितार्थ हेतु इस आंदोलन की अत्यधिक आवश्यकता है।

वहीं एस जीएन हॉस्पिटल निदेशक डॉ. जयराम यादव व गुप्ता हॉस्पिटल निदेशक डॉ. रवि अंजलि गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा करदाता के टैक्स से राजकीय अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार और अधिक चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाए, जिससे राज्य की जनता को राजकीय अस्पतालों में और अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके।

योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कमियों को सुधारा जाए, जिससे सभी को योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल सके। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल पर पुन: विचार करें और यदि फिर भी इस बिल की आवश्यकता हो तो इसे केवल राजकीय संस्थाओं में लागू किया जाए।

वही पावटा सहित आस पास के क्षेत्रों में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करते हुए निजी हॉस्पिटल संचालकों द्वारा क्षेत्र के सभी के चिकित्सालयों में सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक सेवाएं बंद रखी गई। वही इस दौरान इलाज हेतु आए मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

दरगाह में जायरिनों का आना शुरू

सांभरझील, (निसं)। पुरानी धानमंडी स्थित अजमेर ख्वाजा साहब के सगे पोते ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलेह के दरगाह में इन दिनों भारी तादाद में जायरीन के आने का सिलसिला बना हुआ है। बता दें कि अजमेर ख्वाजा साहब के उर्स की विधिवत शुरुआत होने के साथ ही सांभर में भी उर्स की हलचल शुरू हो जाती है। यहां अनेक प्रांतों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में अलसुबह जायरीन ख्वाजा साहब की दरगाह में जाकर जियारत करते हैं और मन की मुरादे पाते हैं। अमन चैन की दुआओं के साथ देश में खुशहाली की कामना करते हैं। ख्वाजा साहब की चौखट चूम कर अकीदत के फूल पेश कर उनकी आस्ताने दरबार में हाजिर लगाने का दौर सुबह से देर रात तक लगातार बना हुआ है। नकाशा चौक में काफी तादाद में बसों का ठहराव होने व जायरीनो की आवाजाही होने से यहां पर उर्स जैसा माहौल भी बना हुआ है। बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए यहां पर फीणी का व्यवसाय करने वाले फुटकर दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें सजा ली है।

सरपंच पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र की सवासा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मंगलवार को सरपंच ममता देवी मीणा एवं उनके देवर दिनेश कुमार मीणा पर पद के दुरुपयोग एवं फर्जीवाड़े सहित अनियमितता बरतने के साथ अनावश्यक रूप से ग्राम के बंद कर रखे मुख्य रास्ते को खुलवाने की मांग एवं कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर उप जिला कलेक्टर विजेंद्र सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा।

- ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

ग्रामीणों द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरपंच एवं उनके देवर पर कार्रवाई की मांग की गई एवं ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि सरपंच ममता देवी द्वारा उनके देवर दिनेश मीणा के इशारे पर उन्हीं के परिवार के पोक्सो एक्ट के जिंदा आरोपी का कोर्ट से बचाने की गरज से फर्जी शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश करा कर जिंदे का ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील निर्झरना में सांठगांठ कर आनन-फानन में जिंदा आदमी की मृत्यु का अनुज्ञा पत्र जारी करवा लिया गया। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे मामले का पटाक्षेप होने के बाद जांच में पोक्सो एक्ट के आरोपी जिंदा होने का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञा जारी होना साबित होने के बाद भी तहसीलदार सीमा घुणावत द्वारा फर्जी तरीके से जिंदा आदमी की मृत्यु का अनुज्ञा जारी कराने वालों पर किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए अभी तक ना कोई पत्र व्यवहार किया गया ना ही कोई कार्यवाही की गई है। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सरपंच के देवर दिनेश मीणा पर ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि से फर्जी तरीके से हाईवे कंपनी को मिट्टी बेचने का भी आरोप लगाया गया।. वही मांगे पूरी होने के बाद भी धरने पर बैठकर बेवजह अवरुद्ध कर रखे मुख्य मार्ग को भी खुलवाने की मांग की गई।

33 करोड़ की लागत से 3.5 किमी लम्बा कॉरिडोर बनायेगी श्री श्याम मंदिर कमेटी

खाटूश्यामजी, (निसं)। विश्व विख्यात खाटूधाम में बाबा श्याम मंदिर में आने वाले श्याम भक्तों के लिए सुगमता पूर्वक दर्शन हो इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी गत दो माह से लगातार विकास कार्यों को गति देने में लगी हुई है।

श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटूश्यामजी से रींगस सड़क मार्ग से लामिया रोड़ पर 3.5 किलोमीटर लम्बा कॉरिडोर 33 करोड़ रूपए की लागत है बनायेगी। जिसकी सहमति मंदिर प्रन्यास ने जिलाधीश को दे दी है। यह कॉरिडोर बनने से आने वाले श्याम भक्तों को दर्शन मार्ग में आसानी से दर्शन होंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर कमेटी के 13.55 करोड़ रुपए जिलाधीश कोष में जमा थे। उनमें से रींगस से खाटूश्यामजी पदमार्ग में प्रथम चरण में संतोषपुरा तक पांच करोड़ की लागत से 5.50 मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। यह पदमार्ग बनने से रींगस से आने वाले पदयात्रियों के लिए सुविधा हो जाएगी।

- पांच करोड़ की लागत से रींगस रोड़ पर पदमार्ग का कार्य प्रगति पर

श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से रींगस से खाटूश्यामजी पदमार्ग में प्रथम चरण में संतोषपुरा तक सीसी सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया गया है।

इसके साथ ही चौमूं पुरोहितान से खाटू पार्किंग स्थल तक 2.60 किलोमिटर सड़क का निर्माण दो करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस सड़क निर्माण के होते ही जाम की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा तथा श्याम भक्तों को खाटू आने जाने में सुविधा मिल सकेगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी के ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान ने बताया श्याम भक्तों को दर्शन की सुगमता को देखते हुए लखदातार मैदान से मेला ग्राउंड तक 40 फीट सीधा रास्ता निकाला गया जिसका क्षेत्रफल 1256 वर्ग मीटर है।

इसके लिए रास्ते में आने वाले कृषकों की जमीन का तीन करोड़ 78 लाख रुपए मुआवजा दिया है। इस रास्ते पर मंदिर कमेटी द्वारा सीसी रोड भी प्रस्तावित है। अब श्याम भक्त लखदातार मैदान से सीधे मेला ग्राउंड में प्रवेश करते हुए श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही कस्बें के मुख्य मार्ग जहां श्याम भक्तों का आवागमन हो रहा है वहां 9 लाख 80 हजार रुपए की लागत से बिजली लाइन को अंडर ग्राउंड करवाया गया है। मंदिर कमेटी के ट्रस्टी चौहान ने बताया कि मंदिर नवीन तैयारियों के साथ मंदिर खुलने पर भक्तों को नवाचार देखने को मिलेगा।

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय

श्री राजेन्द्र जी शेखर

(सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस)
(पुत्र स्व. श्री चन्द्रशेखर जी शर्मा)
का स्वर्गवास 23.01.2023 को हो गया है। तीये की बैठक 25.01.2023 को सायं 4 से 5 बजे तक अणुविभा केन्द्र, गौरव टॉवर के पास, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल : श्रीमती शीला शेखर (पत्नी), संजीव शेखर-आरती, भरत शेखर-शिखा अर्जुन शेखर-अशरफ (पुत्र-पुत्रवधु), शालिनी शेखर-संदीप भूषण (पुत्री-दामाद) सिद्धार्थ शेखर, कार्तिकेय शेखर, मेघनाथसेन शेखर, रूद्रा भूषण (पौत्र) पारवी सेन शेखर, सांझ शेखर (पौत्रियां), मोबाईल : 9001216519
9820522177, 9811490730, 9810120502, 9910423020

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपा.श्रीमा./2022-23/6500-01 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-24/1/2023

श्री प्रेमचन्द पुत्र स्व.श्री बाल किशन निवासी वार्ड नम्बर 30 आदर्श कॉलोनी नियर पंजाबी मोहल्ला श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय के प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 30 आदर्श कॉलोनी नियर पंजाबी मोहल्ला श्रीमाधोपुर	चर्तुसमीऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में नौरंगमल कयाल का मकान, पश्चिम दिशा में खेमचन्द पंजाबी व आम रास्ता उत्तर दिशा में रमेश वधवा का मकान व दक्षिण दिशा में प्रभुदयाल का प्लाट अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 68 फुट, उत्तर से दक्षिणी 38 फुट कुल क्षैत्रफल 287.11 वर्गगज या 240.02 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24.01.2023 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, भरतपुर (राज.)
क्रमांक : पीएचडी/2022-23/6413 दिनांक : 20.01.2023
आम सूचना
सूचित किया जाता है कि मृणाल गौड पुत्र श्री विजय कृष्ण गौड, निवासी डी-40, जवाहर नगर भरतपुर ने मृतक श्री संध्या रानी गौड पत्नि श्री विजय कृष्ण गौड के वाहन संख्या RJ05CA5149 को अपने नाम हस्तान्तरण करवाने हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के 7 दिवस में अधोहसताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदक श्री मृणाल गौड पुत्र श्री विजय कृष्ण गौड के नाम उक्त वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया जावेगा।
जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री कल्याणपुरी गोस्वामी पुत्र श्री कानापुरी गोस्वामी, निवासी-मकान नम्बर 86, गणेश नगर, निवारू रोड, 200 फीट बाईपास, झोटवाडा, जयपुर की पुत्री अन्नू गोस्वामी उनके कहे में नहीं है व उनकी बात नहीं मानती है तथा दिनांक 30.09.2022 को मेरे अभिभाष्य की इच्छा व अनुमति लिये बिना राहुल साहू पुत्र श्री रामचन्द्र साहू के साथ चली गई थी और उसके साथ विवाह कर लिया है तथा वर्तमान में उसी के साथ निवास कर रही है। इसलिये मेरे अभिभाष्य काफी दुखी है और उन्होंने अपनी पुत्री अन्नू गोस्वामी को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते हुये उससे अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य की पुत्री अन्नू गोस्वामी से कोई लेन देन करेगा या सम्बन्ध रखेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
जयपुर (सय्यद शकील अहमद) एडवोकेट
दिनांक-25/01/2023 मो.-9413418056, 9024792334

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह कि एक भूखण्ड सं. बी-94, (कार्नर) हीथोज करधनी में स्थित है, जिस पर मेरी/मेरे पिताजी/माताजी/पति/पत्नि/भाई/बहिन स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह नेएचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त भूखण्ड सं. बी-94, हाथोज करधनी के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रहन (Mortgage) कर रखे है। यह कि मेरी/मेरे पिताजी/माातजी/पत्नि/भाई/बहिन स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह का दिनांक 11.12.2022 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त फ्लेट/मकान/प्लाट के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त फ्लैट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड Vaishali Nager Jaipur (फोन नम्बर 18002100018) में सम्पर्क करें। सूचित रहे।
श्रीमती प्रियंका देवी स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह
H. Block Q. No. 733 RPA Shashtr Nager
Jaipur-302016, Mob. 8058956185

नाम परिवर्तन

I krishana kanwar legally wedded spuse of army JC 450259A Ex Sub. Late Sh. Vikram Singh S/o Dariyaw Singh R/o 87 Mitra Nagar Khirni Phatak Jhotwara Jaipur. That have changed my Daughter name from PREETI (DOB 16/2/1999) to PRITI RATHORE (DOB 16/2/1998) vide affidavit dated 19 jan2023 before district notary Jaipur.

I Lalchand Vasnani S/o Ramchand vasnani R/o Plot No. 134 Jaisukh Vila Flat 201 Second Floor Indira Colony Banipark Jaipur. That my Passport No K8387849 my name entered Lal Ramchandra Vasnani to Lalchand Vasnani is entered in Aadhar Card. In future called me Lalchand Vasnani for all purposes.

मैंने अपना नाम Mohd. Ubaiduddin से बदलकर Ubaiduddin S/o Hamiduddin रख लिया है भविष्य में मुझे उबैदउद्दीन पुत्र हमीदउद्दीन निवासी मकान नम्बर 24375, मौहल्ला पहाड़गंज, सूरजपोल, जयपुर-302003 के नाम से जाना पहचाना जाये।

मैंने अपना नाम शर्मा हंसाबेन कैलाशभाई से बदलकर हंसा जाँगिड रख लिया है, अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पत्नी- जगदीश प्रसाद जाँगिड पता- 22B, पथ नं.7, विकास नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर
-: आवश्यक सूचना :-
मूलतः आवास संख्या 4/72ए एन0ई0बी0 विस्तार योजना अलवर जो कि श्री दरियाव सिंह नेहरा को आवंटन पत्रांक 3007 दिनांक 21.01.2009 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का कब्जा दिनांक 08.05.2009 को श्री दरियाव सिंह को समलवा दिया गयां इनकी मृत्यु दिनांक 03.03.2020 को हो जाने के कारण इनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री सुनिल नेहरा के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं अन्य वारीसानों का घोषणा पत्र (हकत्याग) प्रस्तुत कर आवास का नाम मृत्यु उपरान्त अपने नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।श्री सुनिल नेहरा द्वारा आवास का अपने नाम मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र एवं शुल्क जमा करा दिया गया है।अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/72ए एन0ई0बी0 विस्तार योजना अलवर के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री सुनिल नेहरा पुत्र स्व0 श्री दरियाव सिंह नेहरा के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-अलवर

कार्यालय उपआवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2618 दिनांक-24.01.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 11/47 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 164.700 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री ललित मोहन माथुर पुत्र श्री बसन्त लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 288 दिनांक 21.01.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 18.02.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3959 दिनांक 03.11.2000 के द्वारा श्री ललित मोहन माथुर पुत्र श्री बसन्त लाल के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 21.11.2000 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री ललित मोहन माथुर की मृत्यु दिनांक 09.08.2022 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्री पवित्र माथुर पुत्र स्व. श्री ललित मोहन माथुर ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयत नामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री पवित्र माथुर पुत्र स्व. श्री ललित मोहन माथुर के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उपआवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2613 दिनांक-24.01.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 6/443 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 120.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री कन्हैया लाल अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 867 दिनांक 22.06.1990 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 10.07.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1984 दिनांक 25.08.2004 के द्वारा श्रीमती ज्योति बिजलानी पत्नी श्री प्रीतम बिजलानी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 28.08.004 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती ज्योति बिजलानी की मृत्यु दिनांक 24.03.2022 को हो जाने के कारण इनके पति श्री प्रीतम बिजलानी पुत्र श्री वी.टी. बिजलानी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री प्रीतम बिजलानी पुत्र श्री वी.टी. बिजलानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 362/2023
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी जितेन्द्र सिंह कर्नावट पुत्र श्री स्व. किशन सिंह कर्नावट जाति. विवाद स्थान निवासी- प्लाट नं. ए-3, विजय पथ तिलक नगर जयपुर।
मृतक 1. किशन सिंह कर्नावट पुत्र फतेह सिंह कर्नावट 2. श्रीमती शिमला देवी कर्नावट पत्नि किशन सिंह कर्नावट की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 21.02.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम 1. श्री किशन सिंह कर्नावट पुत्र फतेह सिंह कर्नावट 2. श्रीमति शिमला देवी कर्नावट पत्नि श्री किशन सिंह कर्नावट जाति...... निवासी ए-3, विजय पथ तिलक नगर जयपुर राजस्थान का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 02 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 21 माह 01 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतकगण किशन सिंह व श्रीमती नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित शेयर्स बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

खोया पाया

जेडीए द्वारा जारी पट्टा योजना विनायक विहार के भूखंड संख्या 55,56,57,58 का JDA पट्टा, स्टांप, साईट प्लान, चालान खो गए हे सूचित करे- राजीव कौशिक, मो.- 8952999789

मेरे मकान नम्बर 9/409, मालवीय नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र (DHC-1C-1(EM) Malviya Nagar/2346) कही गिर गया है। मिलने पर सूचित करे डॉली कुमारी W/o श्री प्रदीप कुमार, 9/175, मालवीय नगर जयपुर। 7742302013

मेरा नाम जितेन्द्र कुमार गुप्ता है मेरे नाम से Reliance Industries Ltd. कम्पनी के नाम से शेयर सर्टिफिकेट 30 शेयर थे जिनका Folio No. 070626675, Certi.No. 16709259, 16709260 दिनांक 11.06.2021 को खातीपुरा रोड झोटवाडा में गिर गए थे मिलने पर सूचित करें। मो. 9314191476

मैं पुष्पा देवी खत्री पत्नी दुर्गादास खत्री निवासी 42/41/8 मेरे उक्त मकान का कब्जा पत्र कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें 9664038615

मेरे भूखण्ड संख्या E-38 वाटिका इंफोटेक सिटी अजमेर रोड जयपुर की उप रजिस्ट्रार जयपुर द्वितीय की रसीद एवं पावर ऑफ अटॉर्नी की रसीद कही खो गयी है मिलने पर सूचित करे- विशेषता गुप्ता 9414781472

विवाद्यकों के स्थिरिकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 नियम 1 व 5)
न्यायालय श्रीमान वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 2 जयपुर महानगर, जयपुर मूलवाद संख्या-31/2022 सीआईएस नं. 62/2021दि नैनीताल बैंक लिमिटेर्ड, शाखा-जयपुर ए-78-79 सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर जयपुर द्वारा पॉवर ऑफ अटार्नी हॉल्डर/शाखा प्रबन्धक ......वादी
विरुद्ध
1. मैसर्स श्रीनागनेची टी कम्पनी प्रो. श्री सुरेन्द्र सिंह बिदावत पता-डी-73, अनाज मण्डी चांदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान। 2. सुरेन्द्र सिंह बिदावत पुत्र श्री चुमी सिंह बिदावत उर्फ चुमे सिंह प्रो. मैसर्स श्रीनागनेची टी कम्पनी, पता राजपूतों का मोहल्ला, नाहरसरा नहर्सरा, रंगाईसर, जिला चूरू-331403 राजस्थान। 3. सन्तार सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह निवासी राजपूतों का मौहल्ला नाहरसरा नहार्सरा, रंगाईसर, जिला चूरू-331403 राजस्थान। 4. जयकुमार सिंघल पुत्र श्री सीताराम सिंघल निवासी डी-78, श्रीराम मंदिर वाली गली, नई अनाज मण्डी, जालूपुरा, चांदपोल बाजार, जयपुर जी.पी.ओ. जयपुर-1, राजस्थान।
वाद बाबत धन वसूली 7,65,000 रु.
वादी ने आपके विरूद्ध धनवसूली 7,65,000 रु. के लिए वाद पंजीयन किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 01.02.2023 को दिन में 10.30 बजे दावा का उत्तर देने के लिए उपस्थित/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐ सब प्रश्नो का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें, जिस पर आपकी प्रतिरक्षा या मुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो। अपनी प्रतिरक्षा या मुराई के दावे या प्रतिदावे के सर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इसस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 13 माह 01 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
वाणिज्यिक न्यायालय
क्रम संख्या 2, जयपुर महानगर